राजस्थान सरकार
नगर नियोजन विभाग
कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः टीपीआरः 1120/जेजेड/एम.पी./महवा/पार्ट–II/ दिनांकः 21.08.2023

अधिसूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 5 की उपधारा (1) एवं राजस्थान नगर सुधार न्यास (साधारण) नियम, 1962 के नियम 3 के अन्तर्गत महवा (जिला–दौसा) के नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान–2038 का प्रारूप तैयार कर आम जनता से आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करने हेतु प्रकाशित किया जा रहा है। इस प्रारूप मास्टर प्लान के नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित है :–

क्र.सं.	राजस्व ग्राम का नाम (हिन्दी में)	राजस्व ग्राम का नाम (अंग्रेजी में)
1.	महवा	Mahwa
2.	अलापुर	Alapur
3.	नयागांव	Nayagaon
4.	बरीतकी	Baritaki
5.	ठेकड़ा	Thekda
6.	समलेटी	Samleti
7.	रामगढ़	Ramgarh
8.	शहदपुर	Shahadpur
9.	पाली	Pali
10.	हडिया	Hadiya
11.	मोटूका	Motuka
12.	धन्तूरी	Dhanturi
13.	अन्छापुरा	Anchhapura

महवा मास्टर प्लान के इस प्रारूप के सम्बंध में राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस में कोई भी व्यक्ति/संस्था अपनी आपत्ति/सुझाव कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, राजस्थान, जयपुर–302004 अथवा कार्यालय अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, महवा में प्रस्तुत कर सकते है। मास्टर प्लान के प्रारूप का दिनांक 21.08.2023 से 19.09.2023 तक उपरोक्त समयावधि में प्रदर्शनी स्थल कार्यालय अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, महवा (जिला–दौसा) में अवलोकन किया जा सकता है। उपरोक्त अवधि में मास्टर प्लान के इस प्रारूप से सम्बंधित पुस्तिका मय मानचित्र कार्यालय नगर पालिका महवा से क्रय किये जा सकते हैं एवं www.urban.rajasthan.gov.in/ctp से भी डाउनलोड किये जा सकते है।

(अंकुर दाधीच)
वरिष्ठ नगर नियोजक,
जयपुर जोन, जयपुर।